न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : : : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 605/2025
जमानत आवेदन संख्या – 128/2026
सी.आई.एस. नं. – 123/2026

जगदीश प्रसाद रैगर पुत्र स्व0 प्रभाती लाल रैगर, उम्र 63 साल, निवासी गांव खवा रानी, पुलिस थाना जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

.....अभियुक्त/प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस
अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 336(3),
338, 340(2), 61(2) बी.एन.एस
पुलिस थाना बस्सी, जयपुर पूर्व

उपस्थिति :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप मिश्रा, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

: आदेश :

दिनांक : 03.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह जमानत का आवेदन पत्र अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र धारा 480 बी.एन.एस.एस. के अधीन दिनांक 30.05.2026 को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–12 बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा अस्वीकार किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवायी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त व विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस सुनी गई तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह प्रकरण परिवादी श्री श्रवण

कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट पर दर्ज हुआ है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम तन चावण्डिया पटवार मण्डल चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर में प्रथमपक्ष विक्रेता की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 852, 853 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0300 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण भूमि को उसने मूल खातेदार हरिनारायण पुत्र चिरंजीलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2024 को खरीद कर उपपंजीयक कार्यालय तहसीलदार तहसील आंधी जयपुर में पंजीबद्ध कराया था, तब से वह उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। दिनांक 26.11.2025 को उसे ग्राम पंचायत चावण्डिया के सरपंच द्वारा बताया गया कि उसकी उक्त भूमि का नामांतकरण करवाने के लिए हेमन्त कुमार टांक पुत्र चिरंजीलाल ने ग्राम पंचायत में सम्पर्क किया है व उसे एक फर्जी व कूटरचित विक्रय पत्र दिनांक 19.08.2025 की फोटोप्रति दिखाई तब उसे ज्ञात हुआ कि हेमन्त कुमार, भागीरथ महावर, जगदीश प्रसाद रैगर, आशीष माहेश्वरी एडवोकेट ने आपस में मिलीभगत कर षड्यंत्रपूर्वक उसकी जमीन के फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सौरभ गुर्जर तहसीलदार तहसील आमेर अतिरिक्त प्रभार उपपंजीयक आमेर जिला जयपुर एवं उपपंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक आमेर जयपुर के कर्मचारियों से साज कर फर्जी एवं कूटरचित विक्रय पत्र दिनांक 19.08.2025 को पंजीबद्ध करवाकर उक्त सभी लोग राजस्व रिकॉर्ड में नामांतकरण खुलवा उसकी भूमि को हडपने पर आमादा हैं। उन्होंने उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर फर्जी विक्रय पत्र तैयार करवाया है जिस पर उसकी अंगूठा निशानी भी फर्जी है। जबकि उक्त विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी व फोटो उसकी नहीं हैं..... इत्यादि। जिस पर पुलिस थाना बस्सी में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 605/2025 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया।

थानाधिकारी पुलिस थाना बस्सी, जयपुर पूर्व की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गयाः–

क्र.सं.	मुकदमा सं0	धारा	पुलिस थाना	अन्य विवरण
NIL				

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में गलत रूप से झूठा फंसाया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई बरादगी नहीं हुई है तथा उससे कोई बरामदगी व अनुसंधान किया जाना भी शेष नहीं है। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है। उक्त प्रकरण में मृत्युदण्ड व आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त स्थायी निवासी है जिसके अन्यत्र भाग जाने की संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है. अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व जमानत का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. सुना गया। केस डायरी का अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि परिवादी श्रवण कुमार बैरवा की रिपोर्ट पर यह प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें उसने यह कथन किया है कि उसके नाम के किसी अन्य व्यक्ति को उपपंजीयक कार्यालय में पेश कर फर्जी रजिस्ट्री उसकी जमीन की करवा दी गई है। मुलजिम जगदीश पर यह आरोप है कि उसने फर्जी रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर किये हैं। आज अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय में उपस्थित होकर यह कथन किया है कि मुलजिम ने पूछताछ नोट में यह स्वीकार किया है कि उसे रजिस्ट्री के पक्षकारों के फर्जी होने की जानकारी थी। न्यायालय के विनम्र मत में पूछताछ नोट के आधार पर किसी व्यक्ति को मुलजिम बनाया जाना उचित नहीं है। साथ ही मुलजिम के अधिवक्ता का कथन है कि विक्रय पत्र का क्रेता हेमन्त कुमार मुलजिम का परिचित था, जिसके कहने पर उसने इस रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर किये थे। उसका इस मामले से कोई लेना–देना नहीं है। मुलजिम के विरूद्ध पूछताछ नोट के अलावा इस स्तर पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शित करता हो कि उसने गलत इरादे से या जान–बूझकर विक्रेता को फर्जी आदमी मानकर रजिस्ट्री करवाई हो। मुलजिम पर कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं है। साथ ही मुलजिम 63 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना मुलजिम का उक्त जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

6. फलतः अभियुक्त जगदीश प्रसाद रैगर पुत्र स्व0 प्रभाती लाल रैगर, उम्र 63

साल, निवासी गांव खवा रानी, पुलिस थाना जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस एतद्नुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु 25,000–25,000/–रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ जमानतें व 50,000/– रुपये (पचास हजार रूपये) के मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें, तो उसे तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। आदेश की एक प्रति अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। न्यायिक नजीर **In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated 31-01-2023** की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर–प्रथम

7. आदेश आज दिनांक 03.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर–प्रथम